65

संख्या– 466 /XV-2/01(12)/2004

प्रेषक,

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव,
उत्तराखंण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादून: दिनांक 01 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2014:

विषय– वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु 100 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का सशक्तीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–372/डा0बे0यो0(के0पु0यो0)/2014–15, दिनांक 10 जुलाई, 2014 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–34-11(2)/2008-FY(S), दिनांक 30 जून, 2014 द्वारा 100 प्रतिशत डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का सशक्तीकरण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 3.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में अप्रयुक्त धनराशि रू0 0.34746 लाख के पुनर्वैधीकरण की निम्नानुसार सहमति प्रदान की गयी है:–

(अ) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 30 जून, 2014 द्वारा रू0 3.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

(ब) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 30 जून, 2014 द्वारा वर्ष 2013–14 में अप्रयुक्त धनराशि रू0 0.34746 लाख की धनराशि का वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु पुनर्वैधीकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त योजना में अवमुक्त धनराशि रू0 3.00 लाख एवं पुनर्वैध धनराशि रू0 0.34746 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 3.34746 लाख (रूपये तीन लाख चौंतीस हजार सात सौ छियालिस मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने तथा इसे आहरण कर निम्न मदों यथा–वेतन एवं यात्रा भत्तों पर व्यय एवं कार्यालय व्यय में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो समक्ष अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक बी0एम0–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
4. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं कय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नाम्स के अनुसार किया जाये तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2015 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाय।

कमशः2

6. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

3– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–00–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–104–डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का सशक्तीकरण–42 अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1) दिनांक 18 मार्च, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0एस0 जंगपांगी)
सचिव।

संख्या– 468(1) /XV-2/2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. स्टाफ अफसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, मत्स्य को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
4. कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव।